न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 40/2021

अपीलांट –	*बनाम*	रेस्पोडेंट्स–
श्री रामाराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी बेरीवाला गांव, कुडला तहसील व जिला बाड़मेर		1. तहसीलदार बाड़मेर 2. भैराराम पुत्र गुणेशाराम 3. धन्नाराम पुत्र गुणेशाराम 4. मीरोदेवी पत्नि गुणेशाराम 5. सिमरथाराम पुत्र पदमाराम 6. रेखाराम पुत्र पदमाराम 7. मालाराम पुत्र पदमाराम 8. रूखमोदेवी पत्नि पदमाराम जाति जाट निवासी बेरीवाला गांव, कुडला तहसील व जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 304 दिनांक 10.08.2015 जो तहसीलदार चौहटन द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री उगराराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पो0 सं. 2 से 8 सूचना बावजूद अनुपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।

<u>निर्णय</u>

दिनांक : 16.04.2025

1. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम बेरीवाला गांव तहसील बाड़मेर के नामान्तरकरण सं. 304 पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 10.08.2015 के विरूद्ध दिनांक 18.10.2021 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य य[illegible] मौजा मौजा बेरीवाला गांव पटवार क्षेत्र कुड़ला के ख[illegible]/629 कुल रकबा 25–06 एवं खसरा नंबर 752/629, 753/[illegible] कुल रकबा 118–[illegible] भूमि खातेदारान अपीलांट एवं उतरदाता [illegible]ख्या 2 से 8 त[illegible] सहखातेदारों के आये हुए थे। राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2015 में आपसी सहमति विभाजन होने से तहसीलदार के आदेश की

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:26:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

2 से 8 के साथ दर्ज होने से भूलवंश छूट गया। इस बाबत अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना–पत्र न्याय आपके द्वार मे उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर को पेश किया गया जिस पर उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा तहसील बाड़मेर को जांच करने हेतु आदेश दिया जिस पर आरआई ने जांच की गई तथा जांच में स्पष्ट रूप से बताया गया कि उक्त नामान्तरकरण संख्या 304 भरते समय की भूलवंश श्रीरामाराम का नाम छूट गया है। जिस पर श्री रामाराम का नाम जोडा न्यायोचित माना है। अतः उक्त नामान्तरकरण पारित करने में कानूनी रूप से भारी भूल की है जिससे आलौच्य नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की उक्त अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 50 अपास्त करते हुए अपीलांट के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने हेतु आदेश फरमावें।

5. अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रकट किया कि अपीलांट को इस नामान्तरकरण के संबंध में तत्समय ज्ञान नहीं होने से उस समय जानकारी नहीं हो सकी। उक्त नामान्तरकरण का ज्ञान अपीलांट को सर्वप्रथम अरसा करीबन 15 दिन पूर्व अपीलांट ने अपने हिस्से की भूमि पर ऋण लेने हेतु जमाबंदी प्राप्त की तो अपीलांट का उक्त भूमि में नाम दर्ज नहीं था। जिस पर अपीलांट्स को अपने हक हकूक संशयप्रद लगे तब अपीलांट्स ने हल्का पटवारी से जानकारी हुई जिस पर अपीलांट्स ने उक्त नामान्तकरण की नकले मांगी जो नकल दिनांक 03.09.2019 को प्राप्त हुई। इस प्रकार जानकारी होने से अन्दर मयाद उक्त अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र शामिल कर अपील अन्दर मयाद शुमार करने का भी निवेदन किया है। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 304 दिनांक 10.08.2015 निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

6. रेस्पोडेंट्स संख्या 2 से 8 सूचना बावजूद अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय सुनवाई अमल मे लाई गई।

7. हमने अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता हैं कि मौजा बेरीवाला गांव पटवार क्षेत्र कुड[illegible] खसरा नंबर 73, 676/26, 678/629 कुल रकबा 25[illegible] [illegible]629, 753/629 कुल रकबा 118–14 बीघा भूमि खातेदारान अपीलांट एवं उतरदाता संख्या 2 से 8 तथा अन्य सहखातेदारों के आये हुए थे। [illegible]जस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2015 में आपसी सहमति विभाजन होने से तहसीलदार के आदेश की पालना में हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सं. 304 दायर कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:26:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पालना में हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सं. 304 दायर कर तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 10.08.2015 को स्वीकृत कर दिया। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.10.2021 को प्रस्तुत की गई है। इसके साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट के अधिवक्ता को सुना। मौजा बेरीवाला गांव पटवार क्षेत्र कुड़ला के खसरा नंबर 73, 676/26, 678/629 कुल रकबा 25–06 एवं खसरा नंबर 752/629, 753/629 कुल रकबा 118–14 बीघा भूमि खातेदारान अपीलांट एवं उतरदाता संख्या 2 से 8 तथा अन्य सहखातेदारों के आये हुए थे। संयुक्त खातेदारी की भूमि का आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने हेतु समस्त सहखातेदारान द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2015 में सहमति विभाजन करवाने हेतु आवेदन संयुक्त रूप से पेश किया गया जिसमें अपीलांट द्वारा आवेदन पर हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात उक्त आवेदन को लोक अदालत कैम्प कोर्ट में दिनांक 29.06.2015 को तहसीलदार बाड़मेर द्वारा स्वीकार वादग्रस्त भूमि का विभाजन किया गया। उक्त विभाजन में अपीलांट व उतरदाता संख्या 2 से 8 के हिस्से में खसरा नंबर 73 रकबा 04 बिस्वा व खसरा नंबर 753/629 रकबा 35–05 बीघा कुल रकबा 35–09 बीघा आये जिस सहमति विभाजन मे अपीलांट का नाम अपने भाईयों के साथ दर्ज है। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त विभाजन स्वीकार करने के बाद उक्त सहमति विभाजन के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु हल्का पटवारी को अपने कार्यालय आदेश क्रमांक 1790–1792 दिनांक 29.06.2015 के आदेशित किया गया, जिस पर हल्का पटवारी ने उक्त सहमति विभाजन बाबत नामान्तरकरण संख्या 304 दिनांक 29.06.2015 को ही खोलकर कार्यवाही प्रारम्भ की गई [illegible]आरआई से जांच उपरांत तहसीलदार बाड़मेर द्वारा [illegible]015 को स्वीकृत कर दिया। उक्त नामान्तरकरण में उतरदाता [illegible] 2 से 8 के साथ अपीलांट का नाम दर्ज होने से भूलवंश रह गया [illegible]कि नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 7 में संयुक्त भूमि में अपीलांट का नाम स्पष्ट रूप से दर्ज है परन्तु कॉलम 9 मे भूमि के विभाजन के समय अपीलांट का नाम उतरदाता संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:26:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 10.08.2015 को स्वीकृत कर दिया। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.10.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उक्त नामान्तरकरण में छूटे हुए नाम को जुडवाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिस पर हल्का पटवारी कुड़ला द्वारा रिपोर्ट मे बताया कि मौजा बेरीवाला गांव मे श्री रामाराम के खातेदारी खेत का विभाजन राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा 2015 के दौरान दिनांक 29.06.2015 को किया गया था। जिससे पृष्ठ संख्या 3 पर भैराराम धनाराम पि0 गुणेशाराम, मीरा पत्नि गुणेशाराम, सिमरथाराम श्रीरामाराम रेखाराम मालाराम पि0 पदमाराम, रूखमो पत्नि पदमाराम कौम जाट सा. खातेदार के ख.नं. 73, 753/629 कुल रकबा 35.09 बीघा में विभाजन प्रस्ताव में प्रस्तावित खातेदारों के नाम को नामान्तकरण संख्या 304 भरते वक्त भूलवंश श्रीरामाराम का नाम छूट गया है। जिस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हल्का पटवारी कुड़ला एवं आर आई कवास की रिपोर्ट पर सहमति जाहिर करते हुए उक्त रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान जमाबंदी के खाता सं. 104 में भैराराम धनाराम व अन्य के साथ श्रीरामाराम वल्द पदमाराम का नाम जोड़ा जाना उचित है। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 304 में अपीलांट का नाम नहीं जोडे जाने से उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण विधिविरूद्ध है जिन्हें बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा मौजा मौजा बेरीवाला गांव के स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 304 को अपास्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार बाड़मेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि अपीलांट श्रीरामाराम व अन्य सहखातेदारान की जांच एवं उनको नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विभाजन स्वीकृति आदेश की अनुपालना में नये सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:26:02 IST
Reason: SelfAttested

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर